

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सिविल) संख्या 335/2024

वंशिका यादव
वादी

-

बनाम

भारत संघ और अन्य

-प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 362/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 369/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 368/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 431/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 379/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 377/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 376/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 375/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 425/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 401/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 415/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 407/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 412/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 383/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 419/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 406/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 403/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 398/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 414/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 423/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 404/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 427/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 441/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 420/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 430/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 446/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 410/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 382/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 381/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 394/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 384/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 389/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 417/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 393/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 435/2024

रिट याचिका (सिविल) डायरी संख्या 28729/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 1741/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 449/2024

रिट याचिका (सिविल) संख्या 392/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1659/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1597/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1600/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1602/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1596/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1808/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1741/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1737/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1735/2024

स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1730/2024

हेडनोट्स

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया था। कोर्ट ने माना कि झारखंड और बिहार में पेपर लीक हुआ, और CBI ने 155 छात्रों को धोखाधड़ी के लाभार्थी के रूप में पहचाना है। हालांकि, कोर्ट को संपूर्ण परीक्षा में कोई व्यापक गड़बड़ी या प्रणालीगत विफलता नहीं मिली। **अभिनिर्धारित:** कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार किया, यह कहते हुए कि इससे 20 लाख से अधिक छात्रों को नुकसान होगा। विवादित प्रश्न पर IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और NTA को परिणाम संशोधित करने तथा रैंक अपडेट करने का आदेश दिया गया। साथ ही, केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने छात्रों के हित और परीक्षा की पवित्रता दोनों को संतुलित रूप से ध्यान में रखा।

आदेश

1. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (यूजी)¹ 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी² द्वारा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे।
2. यह परीक्षा 571 शहरों के अलावा 14 विदेशी शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लगभग 23,33,297 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। वे स्नातक स्तर पर 1.08 लाख मेडिकल दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों में हैं जबकि शेष 52,000 सीटें निजी तौर पर प्रबंधित संस्थानों में हैं।

3. 50वाँ पर्सेंटाइल योग्यता के लिए कट-ऑफ दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में चार अंक होते हैं, इस प्रकार कुल योग 720 अंक बनते हैं। गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक दिया जाता है। नीट (यूजी) 2024 के परिणाम के आधार पर, 50वाँ पर्सेंटाइल 720 में से 164 अंक है। जिन उम्मीदवारों ने यह सीमा प्राप्त कर ली है, वे प्रवेश के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें एमबीबीएस कार्यक्रम में प्रवेश की गारंटी नहीं है। सीटें अनारक्षित श्रेणी के छात्रों और आरक्षित श्रेणी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं, दोनों के बीच आवंटित की जाती हैं।
- 4.
4. इन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की है कि (i) प्रश्नपत्र लीक हो गया था; और (ii) परीक्षा के संचालन के लिए परिकल्पित तौर-तरीकों में प्रणालीगत कमियां हैं।
 1. "नीट (यूजी)"
 2. "एनटीए" 5. याचिकाकर्ताओं की ओर से जो दलील दी गई है वह यह है कि नीट (यूजी) परीक्षा के दौरान जो लीक हुआ वह प्रणालीगत प्रकृति का है और परीक्षा के संचालन में संरचनात्मक कमियों के साथ, तन्वी सरवाल बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य 3 और सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) और अन्य सहित,⁴ इस न्यायालय के पिछले फैसलों के मद्देनजर, उचित कार्रवाई फिर से परीक्षा कराने का निर्देश देना है।
6. 8 जुलाई 2024 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने एनटीए; भारत संघ; और केंद्रीय जांच ब्यूरो ⁵ को हलफनामे पर खुलासे के लिए कहा। विवाद में प्रमुख मुद्दों को चिह्नित करते हुए, सीबीआई को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है क्योंकि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों को जांच के लिए इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। अपने पिछले आदेश में न्यायालय ने कहा था कि उसे रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं की जांच करनी होगी, अर्थात्:
 - (i). क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ था;
 - (ii). क्या उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जो संपूर्ण जांच प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करता है; और
 - (iii). क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।
7. परिणामस्वरूप संघ की उपरोक्त एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए कि वे पिछले आदेश में उजागर किए गए मुद्दों पर विशिष्ट खुलासे करें।

8. चार दिनों में दलीलें सुनी गईं। हमें याचिकाकर्ताओं, भारत संघ, और एनटीए की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने का लाभ मिला है। श्री वाई वी कृष्णा, अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई ने कार्यवाही के दौरान न्यायालय को जांच की स्थिति से अवगत कराया है।
9. बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।
10. इस विवाद को निश्चितता और अंतिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता है, जो बीस लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए, यह जरूरी है कि न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष वर्तमान चरण में दर्ज किए जाएं। अंतिम निष्कर्षों के कारण बाद में बताए जाएंगे।³ (2015) 6 एससीसी 573
4. (2021) 4 एससीसी 631
5. "सीबीआई"
11. हम निम्नलिखित शब्दों में आवश्यक निष्कर्ष दर्ज करते हैं:
 - (i). यह तथ्य कि नीट (यूजी) 2024 का पेपर झारखंड राज्य के हजारीबाग और बिहार राज्य के पटना में लीक हुआ, विवाद का विषय नहीं है;
 - (ii). जांच को अपने पास स्थानांतरित करने के बाद, सीबीआई ने 10 जुलाई 2024, 17 जुलाई 2024 और 21 जुलाई 2024 की अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई द्वारा किए गए खुलासे से संकेत मिलता है कि जांच जारी है। सीबीआई ने संकेत दिया है कि वर्तमान चरण में, जांच के दौरान जो सामग्री सामने आई है, उससे संकेत मिलता है कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए लगभग 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं;
 - (iii). चूंकि सीबीआई द्वारा की गई जांच वर्तमान समय में अंतिम रूप नहीं ले पाई है, इसलिए इस न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा था कि क्या 571 शहरों में स्थित 4,750 केंद्रों से प्राप्त परिणामों के आधार पर डेटा विश्लेषण के माध्यम से असामान्यताओं के अस्तित्व के संबंध में रुझान का अनुमान लगाया जा सकता है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,⁶ मद्रास की एक रिपोर्ट पेश की है। कथित पूर्वाग्रह के आधार पर आईआईटी, मद्रास की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर बाद में आने वाले तर्कसंगत फैसले के दौरान विचार किया जाएगा। इस स्तर पर, किसी भी विवाद को दूर करने के लिए, न्यायालय ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है;
 - (iv). वर्तमान चरण में, रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री का अभाव है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का संपूर्ण परिणाम दोषपूर्ण है या परीक्षा की पवित्रता में कोई प्रणालीगत भंग हुआ है;

- (v). वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर निर्णायक सामग्री की अनुपस्थिति के अलावा, शहर-वार और केंद्र-वार रिकॉर्ड पर जो डेटा प्रस्तुत किया गया है और वर्ष 2022, 2023 और 2024 के डेटा की तुलना परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने वाले प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं है;
- (vi). अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में, न्यायालय ने अच्छी तरह से स्थापित परीक्षण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया है कि क्या दागी छात्रों को उन लोगों से अलग करना संभव है जिनकी उम्मीदवारी में कोई दाग नहीं है। यदि जांच में वर्तमान चरण में संदिग्धों के अलावा लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या की संलिप्तता का पता चलता है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, किसी भी चरण में गलत कामों में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्येक छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

6 "आईआईटी"

यह पड़ताल इस तथ्य का वस्तुनिष्ठ निर्धारण करती है कि क्या **कलुषित** अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों से पृथक करना संभव है जिनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रकार के लांछन से ग्रसित नहीं है। यदि अन्वेषण में उन लाभार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि संज्ञान में आती है जो वर्तमान प्रक्रम पर संदिग्ध व्यक्तियों से इतर हैं, तो परामर्श प्रक्रिया की परिसमाप्ति के होते हुए भी, किसी भी स्तर पर दुराचार में संलिप्त पाए गए प्रत्येक छात्र के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित की जाएगी। कोई भी छात्र, जो कपटपूर्ण कार्यों में संलिप्त पाया जाता है अथवा अनियमितता का लाभार्थी रहा है, इस न्यायनिर्णय में अंतर्विष्ट निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में प्रवेश की निरंतरता में किसी निहित अधिकार या वैध प्रत्याशा का दावा करने का हकदार नहीं होगा; और इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट (यूजी) आयोजित करने का निर्देश देना, परीक्षा में शामिल होने वाले 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा। इस तरह की कार्रवाई करने से, विशेष रूप से, (i) मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया कई महीनों तक पीछे हो जाएगी; (ii) मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा; (iii) भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता प्रभावित होगी; और (iv) हाशिए पर खड़े समुदायों और कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है।

12. इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित निर्धारित परीक्षाओं के अनुप्रयोग पर या रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों और सामग्री के आधार पर संपूर्ण नीट (यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है।

13. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की एक अन्य दलील पर भी विचार करना आवश्यक है।
नीट (यूजी) 2024 के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न निम्नलिखित था:

"नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की संख्या बराबर होती है।

कथन II: प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपना विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

14. हमने प्रश्नों की संख्या नहीं बताई है, क्योंकि प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मद्देनजर प्रश्न-पत्रों की विभिन्न श्रृंखलाओं में प्रश्नों की संख्या तथा विकल्पों की संख्या भिन्न-भिन्न होने की संभावना है।

15. प्रारंभ में, एनटीए द्वारा तैयार की गई उत्तर कुंजी ने संकेत दिया कि ऊपर दिया गया चौथा विकल्प सही उत्तर था। इसके बाद, एनटीए को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यह निर्णय लिया गया कि दूसरे और चौथे दोनों विकल्पों को सही उत्तर माना जाएगा।

16. इस न्यायालय के 22 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा, आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था, जो इस पर अपनी राय प्रस्तुत करे कि ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर होगा। आईआईटी, दिल्ली में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक और प्रोफेसर ने 23 जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि भौतिकी विभाग से तीन सदस्यीय समिति जिसमें (i) प्रोफेसर प्रदीप घोष; (ii) प्रोफेसर आदित्य नारायण अग्निहोत्री; और (iii) प्रोफेसर संकल्प घोष शामिल हैं, उस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी।

17. आईआईटी, दिल्ली के निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम ने राय दी है कि ऊपर दिया गया विकल्प (4) सही उत्तर है। किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, विकल्प (4) जिसे सही उत्तर माना जाना है, नीचे दिया गया है:

"(4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।"

18. आईआईटी, दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा, विशेषज्ञ निर्धारण, सही विकल्प के संबंध में किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं छोड़ता है। वास्तव में, यह शुरू में एकमात्र विकल्प था जिसे एनटीए द्वारा सही उत्तर माना गया था। विकल्प (2) और (4) परस्पर अनन्य हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
19. हम आईआईटी, दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। तदनुसार, एनटीए नीट (यूजी) 2024 के परिणाम को इस आधार पर संशोधित करेगा कि विकल्प (4), जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर दर्शाता है। एनटीए को सभी उम्मीदवारों की रैंक अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
20. सुनवाई के दौरान, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि एनटीए 1,563 छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित कर रहा था, जो उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंकों की जगह ले रहा था। 1,563 छात्रों को या तो विशेष परीक्षा में शामिल होने या वैकल्पिक रूप से, प्रतिपूरक अंकों को जोड़े बिना अपने मूल अंकों को चुनने का विकल्प दिया गया था। एनटीए को आयोजित की गई परीक्षा के बाद कार्रवाई करने की अनुमति है।
21. न्यायालय के समक्ष जो मुख्य मुद्दा उठाया गया है वह नीट (यूजी) 2024 परीक्षा की पवित्रता से संबंधित है और क्या इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए और एक नई परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उपरोक्त शब्दों में प्रश्न का उत्तर देने के बाद, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यदि किसी भी छात्र, जिसमें वर्तमान बैच भी शामिल है, की कोई व्यक्तिगत शिकायत है जो इस निर्णय द्वारा हल किए गए मुद्दों से संबंधित नहीं है, तो उनके लिए कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपायों को हासिल करने की लिए रास्ता खुला होगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में जाना भी शामिल है। हालांकि, राहत देने के लिए उच्च न्यायालय में जाने से पहले, याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष अपनी याचिकाओं को वापस लेने की मांग करनी होगी, यदि कोई दायर की गई है।
22. केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
 - (i). डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष
 - (ii). डॉ. रणदीप गुलेरिया, सदस्य
 - (iii). प्रोफेसर बी.जे. राव, सदस्य
 - (iv). प्रोफेसर राममूर्ति के. सदस्य
 - (v). श्री पंकज बंसल, सदस्य
 - (vi). प्रोफेसर आदित्य मित्तल, सदस्य
 - (vii). श्री गोविंद जायसवाल, सदस्य सचिव

23. समिति ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगी जो इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम निर्णय और आदेश में उन क्षेत्रों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं जिनकी जांच उसके द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (i) नीट (यूजी) और एनटीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य परीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया को विधिवत मजबूत किया जाए; और (ii) वर्तमान वर्ष के दौरान प्रकाश में आए मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।
24. एनटीए या किसी अन्य पक्ष द्वारा नीट (यूजी) 2024 परीक्षा की वैधता के संबंध में मुद्दा उठाने पर स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। परिणामी स्थानांतरित मामलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि यह स्पष्ट किया जाए कि व्यक्तिगत शिकायतें, यदि कोई हों, तो उन्हें अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष संबोधित किया जा सकता है। व्यक्तिगत शिकायतें उठाने वाले अंतरिम आवेदनों को भी उपरोक्त शर्तों में आरक्षित स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति है।

टीपी (सिविल) संख्या 1602/2024

25. टीपी (सिविल) संख्या 1602/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से याचिका में संशोधन करने की अनुमति का अनुरोध करते हैं। सप्ताह के दौरान याचिका में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 404/2024, रिट याचिका (सिविल) संख्या 381/2024, रिट याचिका (सिविल) संख्या 398/2024 और रिट याचिका (सिविल) डायरी संख्या 28729/2024.

26. याचिकाकर्ताओं के वकील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में जाने सहित कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपायों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने के लिए न्यायालय की अनुमति चाहते हैं।
27. प्रार्थित स्वतंत्रता के साथ इन याचिकाओं को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।
- रिट याचिका (सिविल) संख्या 379/2024, आई.ए. संख्या 146158/2024 और आई.ए. संख्या 146162/2024
28. आवेदकों के वकील श्री कुणाल चीमा ने कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ अंतरिम आवेदनों को वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।
29. अन्तरवर्ती आवेदनों को मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज किया जाता है।

.....मुख्य न्यायाधीश
[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड]

..... न्यायाधीश
[जे बी पारदीवाला]

..... न्यायाधीश
[मनोज मिश्रा]

नई दिल्ली;
23 जुलाई, 2024
Checked by Sunil Kumar